भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)
जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075 • G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075
दूरभाष/Phone : 91-11-25074100 / 25074200

सत्यमेव जयते

भाराराप्रा/ नीति दिशानिर्देश/ मानक दस्तावेज़/ 2026
नीति परिपत्र सं. 11.110/2026 दिनांक 15th सितम्बर, 2026
{(ई-ऑफिस फाइल सं. CDMDIV-25/18/2026-CMD Division (कम्प्युटर सं. 323385 पर लिया गया निर्णय)}

NHAI/ Policy Guidelines/ Standard Documents/ 2026
Policy Circular No. 11.110 / 2026 dated 15th September, 2026
{(Decision taken on E-Office File No. CDMDIV-25/18/2026-CMD Division (Comp No. 323385)}

विषय: **एचएएम परियोजनाओं में केंद्रीय/राज्य पीएसयू (जैसे इरकॉन, आरवीएनएल, एमएचआरडीसी, एमपीआरडीसी आदि) द्वारा नियोजित संविदाकारों/ईपीसी संविदाकारों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)।**

Sub: **Standard Operating Procedure (SoP) for issuance of Experience Certificates to Contractors/EPC Contractors engaged by Central/State PSUs (like IRCON, RVNL,MHRDC, MPRDC etc.) in HAM Projects- reg:-**

संदर्भ: **भाराराप्रा नीति परिपत्र संख्या 11.68/2025 दिनांक 06.08.2025 एवं 11.75/2025 दिनांक 12.09.2025 (अनुभव प्रमाण पत्रों के लिए एसओपी)।**

Ref: **NHAI Policy Circular No. 11.68/2025 dated 06.08.2025 & 11.75/2025 dated 12.09.2025 (SoP for Experience Certificates).**

एचएएम परियोजनाओं में केंद्रीय/राज्य पीएसयू (जैसे इरकॉन, आरवीएनएल आदि) द्वारा नियोजित संविदाकारों/ईपीसी संविदाकारों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में दिनांक 23.07.2026, 03.09.2026 और 10.09.2026 को आयोजित कार्यकारिणी समिति बैठकों में विचार-विमर्श किया गया है।

The matter regarding issuance of Experience Certificates to Contractors/EPC Contractors engaged by Central/State PSUs (like IRCON, RVNL, etc.) in HAM Projects has been deliberated in Executive Committee Meetings held on 23.07.2026, 03.09.2026 & 10.09.2026.

2. **विचार-विमर्श के बाद, ईसी ने निर्णय लिया कि भाराराप्रा निम्नलिखित एसओपी के अनुसार एक खुली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से केंद्रीय/राज्य पीएसयू (जैसे इरकॉन, आरवीएनएल आदि) द्वारा नियोजित संविदाकारों/ईपीसी संविदाकारों के लिए चल रही एचएएम परियोजना में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करेगा:**

After deliberation, EC decided that NHAI shall issue Experience Certificates in ongoing HAM Project for Contractors/EPC Contractors engaged by Central/State PSUs (like IRCON, RVNL, etc.) through an open Competitive Bidding Process in accordance with the following SoP:

(i) **भाराराप्रा द्वारा संबंधित केंद्रीय/राज्य पीएसयू और ऐसे केंद्रीय/राज्य पीएसयू द्वारा नियोजित संविदाकार/ईपीसी संविदाकार को एक खुली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र केवल संबंधित पीएसयू से उसके द्वारा नियोजित संविदाकार को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित विवरण के साथ प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही जारी किए जाएंगे:**

Contd.....2/-

Experience Certificates shall be issued by NHAI to the concerned Central/State PSUs and the Contractor/EPC Contractor engaged by such Central/State PSUs through an open Competitive Bidding Process, only upon receipt of a proposal from the concerned PSU along with the following details for issuance of Experience Certificate to the Contractor engaged by it:

(a) ईपीसी संविदाकार/संविदाकार के नियोजन के लिए जारी एनआईटी/आरएफपी की प्रति।
Copy of NIT/RFP issued for engagement of the EPC Contractor/Contractor.

(b) ईपीसी संविदाकार/संविदाकार को जारी ठेका देने संबंधी पत्र (एलओए) की प्रति।
Copy of Letter of Award (LoA) issued to the EPC Contractor/Contractor.

(c) ईपीसी संविदाकार/संविदाकार के साथ निष्पादित ईपीसी करार/करार/कार्य आदेश की प्रति।
Copy of EPC Agreement/ Agreement/ Work Order executed with the EPC Contractor/Contractor.

(d) संविदाकार/ईपीसी संविदाकार द्वारा निष्पादित कार्य का मूल्य और कार्य-क्षेत्र, साथ ही दिनांक 06.08.2025 के भाराराप्रा नीति परिपत्र संख्या 11.68/2025 के माध्यम से दिए गए प्रारूप में ऐसे संविदाकार/ईपीसी संविदाकार को जारी किए जाने वाले मसौदा अनुभव प्रमाण पत्र।
The Value and Scope of Work executed by the Contractor/ EPC Contractor along with draft Experience Certificate to be issued to such Contractor/ EPC Contractor in the format given vide NHAI Policy Circular No. 11.68/2025 dated 06.08.2025.

(ii) संबंधित पीएसयू से ऐसा प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद, दिनांक 06.08.2025 के भाराराप्रा नीति परिपत्र संख्या 11.68/2025 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का विधिवत पालन करते हुए ईपीसी संविदाकार (पीएसयू) और ईपीसी संविदाकार द्वारा नियोजित संविदाकार को अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। संदेह से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि एक एचएएम परियोजना में 2 अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए जा सकते हैं, एक ईपीसी संविदाकार अर्थात केंद्रीय/राज्य पीएसयू के लिए जो प्रमोटर या कंसेसनेयर भी है और दूसरा ऐसे ईपीसी संविदाकार द्वारा नियोजित संविदाकार के लिए, क्योंकि ईपीसी संविदाकार अपने संविदाकार के साथ किए गए करार या ईपीसी संविदाकार द्वारा किए जाने वाले किसी अन्य करार में निहित किसी भी बात के बावजूद करार के तहत अपने सभी दायित्वों के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी रहेगा, और ऐसे करार के तहत कोई भी चूक ईपीसी संविदाकार को करार के तहत उसके दायित्वों या जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगी।
After receipt of such Proposal from the concerned PSU, the Experience Certificates shall be issued to EPC Contractor (PSU) and the Contractor engaged by EPC Contractor duly following the Procedure prescribed under NHAI Policy Circular No. 11.68/2025 dated 06.08.2025. For avoidance of doubt, it is clarified that Two (2) Experience Certificates can be issued in one HAM Project, one for the EPC Contractor i.e. Central/State PSU who is also Promoter or Concessionaire and other to the Contractor engaged by such EPC Contractor, as EPC Contractor remains responsible and liable for all its obligations under the Agreement notwithstanding anything contained in the agreement with its Contractor or any other agreement that may be entered into by EPC Contractor and no default under such agreement shall excuse EPC Contractor from its obligations or liability under the Agreement.

Contd.....3/-

3. उपर्युक्त एसओपी उन एचएएम परियोजनाओं पर लागू होगी जहां इस परिपत्र के जारी होने से पहले नियत तिथि घोषित की जा चुकी है। उन एचएएम परियोजनाओं के लिए जहां नियत तिथि अभी घोषित की जानी है, संबंधित पीएसयू और उसके द्‌वारा नियोजित संविदाकार को भाराराप्रा द्‌वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के उद्‌देश्य से, संबंधित पीएसयू संविदाकार के नियोजन के लिए भाराराप्रा का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा।

The above SoP shall be applicable to HAM Projects where the Appointed Date has been declared prior to issuance of this Circular. For HAM Projects where the Appointed Date is yet to be declared, the concerned PSU shall obtain prior approval of NHAI for engagement of the Contractor, for the purpose of issuance of Experience Certificates by NHAI to the concerned PSU and the Contractor engaged by it.

4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह एसओपी चल रही एचएएम परियोजनाओं के निजी निकायों/ईपीसी संविदाकारों या कंसेसनेयरों द्‌वारा नियोजित संविदाकारों/ईपीसी संविदाकारों के लिए अनुभव प्रमाण पत्रों पर लागू नहीं होगी। ऐसे अनुभव प्रमाण पत्र भारारापा द्‌वारा जारी नहीं किए जाएंगे।

It is further clarified that this SoP shall not be applicable to Experience Certificates for Contractors/EPC Contractors engaged by Private Entities/EPC Contractors or Concessionaires of ongoing HAM Projects. Such Experience Certificates shall not be issued by NHAI.

5. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.

15/09/26

(सीएस. संजय कुमार पटेल/ CS. Sanjay Kumar Patel)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक(समन्वय) (i/c) Chief General Manager (Coord.)

प्रति/ To:

भारारापा मुख्यालय/आरओ/पीआईयू/सीएमयू/साइट कार्यालयों के सभी अधिकारी।
All Officers of NHAI HQ/ ROs/ PIUs/ CMUs/ Site Offices.

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. पुस्तकालय की साइट पर प्रकाशन के लिए पुस्तकालय को।
   Library for hosting the Circular on Library site.
2. परिचालन के लिए वेब एडमिन को।
   Web Admin for Circulation.
3. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ।
   PPS to Secretary, MoRT&H for Kind Information.